सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 650 राँची, मंगलवार, 8 भाद्र, 1938 (श०) / 30 अगस्त, 2016 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

18 अगस्त, 2016

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में बी.पी.एल. परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस (LPG) संयोग मुफ्त उपलब्ध कराने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल का मूल्य वहन करने एवं उक्त हेतु कुल रूपये 1,04,94,00,000/- (एक सौ चार करोड चौरानबे लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या- खा.प्र. 01/एल.पी.जी./21-01/2015 – 3262-- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की गृहणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परम्परागत ईधनों यथा लकड़ी, कोयला एवं गोबर उत्पादों का रसोई घर में ईधन के रूप में उपयोग निरापद नहीं माना गया है । रसोई घर में अत्यंत अस्वास्थ्यकर वातावरण में महिलाओं द्वारा भोजन पकाने से महिलाओं के साथ-साथ परिवार के बच्चों को भी अनेक श्वासजनित बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा रहता है और यह आधुनिक स्वास्थ्य

मापदण्डों के भी अनुकूल नहीं है । अतः आवश्यक है कि वातावरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छ ईधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाय।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश के पांच करोड़ बी०पी०एल० परिवार जो SECC-2011 (Rural) Database में विनिर्दिष्ट किसी एक deprivation की श्रेणी में आते हैं उन परिवारों को धुआँ रहित स्वच्छ ईधन देने की प्रक्रिया के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस का संयोग दिया जाना है। इस योजना के अंतर्गत वैसे लाभुक परिवार जिनके पास पूर्व से कोई गैस संयोग नहीं है, उन परिवारों के एक महिला के नाम से गैस संयोग उपलब्ध कराया जायेगा। एक ही परिवार के दो सदस्य इस योजना के लाभुक नहीं होगें। इस हेतु केन्द्रीय बजट में वर्ष 2016-17 हेतु 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही उन राज्यों को भी प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास राष्ट्रीय औसत से कम एल०पी०जी० आच्छादन है।

3. बी०पी०एल० परिवार की महिला सदस्य जिसके पास पूर्व से कोई एल०पी०जी० संयोग नहीं है वह एल०पी०जी० वितरक के पास नये एल०पी०जी० संयोग के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगी। आवेदन पत्र के साथ उस महिला को पता, जनधन/बैंक खाता नम्बर एवं आधार नम्बर, देना होगा । अगर आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो UID के द्वारा आधार संख्या जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठायें जायेंगे।

4. एल०पी०जी० के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा आवेदन का मिलान SECC 2011 के Database से कर बी०पी०एल० का सत्यापन कर ऑयल कंपनी को देगी एवं ऑयल कंपनी इस आवेदन का De duplication कर नया संयोग मुफ्त जारी करेंगी जिसका वर्तमान मूल्य 1600/- (सोलह सौ रूपये) है। इसमें सिलिंडर डिपोजिट, प्रेशर रेगुलेटर, हॉस पाईप आदि का व्यय शामिल है ।

5. ऑयल कंपनियों द्वारा गैस संयोजन के पश्चात् लाभुकों से संबंधित सूचनाएँ एवं विपत्र खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी । ततपश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय तेल कंपनियों को 1590/- (पन्द्रह सौ नब्बे रूपये) उपलब्ध करायेगी। इस राशि में गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल का मूल्य शामिल है।

6. तेल कंपनियों को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि में वैट, टीडीएस एवं अन्य करों की गणना किया जायेगा।

7. ऑयल कम्पनियों द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान का भी उल्लेख होगा।

इस प्रकार योजना के अंतर्गत एक LPG संयोग में आने वाले कुल व्यय में से रूपये 1600.00 (सोलह सौ) का अनुदान भारत सरकार द्वारा किया जायेगा एवं शेष राशि 1590/-

(पन्द्रह सौ नब्बे रूपये) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा तेल कंपनियों को गैस संयोजन के उपरान्त किया जायेगा।

8. वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 6,60,000 बी॰पी॰एल॰ परिवारों को राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् मुफ्त घरेलू गैस संयोग उपलब्ध कराया जाना है जिस पर कुल 1,04,94,00,000/- (एक सौ चार करोड चौरानबे लाख रूपये) मात्र का व्यय संभावित है।

9. प्रस्तावित योजना की स्वीकृति के उपरांत पूर्व से संचालित "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक लाख परिवारों को घरेलू गैस (LPG) संयोग अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने से संबंधित परिक्रमी निधि उपलब्ध कराया जाना है।

10. वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित योजना में बजटीय उपबंध प्राप्त नहीं है। "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक लाख परिवारों को घरेलू गैस (LPG) संयोग अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने की योजना" में प्राप्त बजटीय उपबंध रू॰ 15/- करोड़ (रूपये पंद्रह करोड़) मात्र में से लंबित दायित्व की राशि 4,09,99,200/-(चार करोड़ नौ लाख निनान्बे हजार दो सौ) को छोड़कर अवशेष राशि 10,90,00,800/- (दस करोड़ नब्बे लाख आठ सौ) को प्रत्यर्पित करने तथा प्रस्तावित योजना के कुल 1,04,94,00,000/- (एक सौ चार करोड चौरानबे लाख रूपये) मात्र को अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 650 –50+100 ।